आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारी:– मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा विभाजन बावत बंटवारा

<u>अन्तिम वाद डिक्री</u>

<u>मुकदमा नम्बर</u> :– मु0न0 216/2022 उनवान कौशल्या बनाम जमना देवी वगै0

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.07.2025 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम दडिया का बास के भूमि ख.न. 39 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है:–

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	कौशल्या पुत्री भूराराम जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन एस.बी.आई हेतमसर	ग्राम दडिया का बास		
		39 मी.	2.09	बजड़–1
	योग	किता 01	2.09	–
2	कुरडाराम पुत्र भोलाराम हि. 1/2, जमना देवी पत्नी भोलाराम हि. 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन बीआरकेजीबी हेतमसर	39 मी.	1.03	बजड़–1
3	कौशल्या पुत्री भूरारामराहिन हि. 2/3 राहिन एस.बी. आई हेतमसर, कुरड़ाराम पुत्र भोलाराम, जमना देवी पत्नी भोलाराम हिस्सा 1/3 राहिन बीआरकेजीबी हेतमसर	39 मी0	0.14	गै.मु.रा.

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.07.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
मण्डावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

मु0न0 216/2022 उनवान कौशल्या बनाम जमना देवी वगै0

कौशल्या वगैरह वादी

बनाम

जमना देवी वगैरह (प्रतिवादी)

दावा बाबत विभाजन

–:: निर्णय ::–

दिनांक :31.07.2025

न्यायालय हाजा द्वारा 216/2022 उनवान कौशल्या बनाम जमना देवी वगै0 में वाद वादी दिनांक 27.02.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार मण्डावा को मोका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार मण्डावा द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2025/988 दिनांक 10.06.2025 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम दडिया का बास के भूमि ख.न. 39 का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है:–

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
		ग्राम दडिया का बास		
1	कौशल्या पुत्री भूराराम जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन एस.बी.आई हेतमसर	39 मी.	2.09	बजड़–1
	योग	किता 01	2.09	–
2	कुरडाराम पुत्र भोलाराम हि. 1/2, जमना देवी पत्नी भोलाराम हि. 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन बीआरकेजीबी हेतमसर	39 मी.	1.03	बजड़–1
3	कौशल्या पुत्री भूरारामराहिन हि. 2/3 राहिन एस.बी.आई हेतमसर, कुरड़ाराम पुत्र भोलाराम, जमना देवी पत्नी भोलाराम हिस्सा 1/3 राहिन बीआरकेजीबी हेतमसर	39 मी0	0.14	गै.मु.रा.

तहसीलदार बिसाऊ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)

उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

जिला झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी

मण्डावा